

अंतिम डिक्री

डिक्री व मुकदमे इब्दादाई

(ऑर्डर 21, रूल 6-7, जाब्दा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

बइजलास रतनलाल रेग आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
गणपतराम		देवाराम वगैरा

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

वाद संख्या :- 105/2015

वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 20 रकबा 39 बीघा 19 बिस्वा मौजा ग्राम डाबड़ी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में वादी का 1/6 हिस्सा व वादी द्वारा बेचानशुदा भूमि जो वर्तमान में राजापरिषद का 1/6 हिस्सा विभाजन कर अलग करवाने का वादी अधिकारी होने से विभाजन हेतु विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार ओसियां से तलब किया जाकर उसी अनुसार वादी का 1/3 हिस्सा विभाजन किया जाकर अलग किये जाने बाबत् अंतिम डिक्री जारी की जाती है। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो।

निज.....मुबलिंग.....बाबत्.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12/3/25 को जारी की गई।



सहायक कलेक्टर, ओसियां
सहायक कलेक्टर, जोधपुर

मोहर

मुद्दाई	रुपया	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मतरकत		
मीजान		मीजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।



सहायक कलेक्टर, ओसियां
सहायक कलेक्टर, जोधपुर